

**विभाग द्वारा आम जनो के व्यक्तिगत लाभ हेतु चलायी जा रही योजनाओं की अर्हता संबंधी विवरणी**  
**विभाग का नाम :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**निर्धारित अर्हताएँ**

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	जाति की अर्हता	कोटि (यथा-पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनु-जाति, जनजाति आदि)	आय सीमा	वर्ग (अल्पसंख्यक / सामान्य)	निःशक्तता (यदि % हो तो अंकित करें)	वैवाहिक स्थिति		विधवा	शैक्षणिक अर्हता (मैट्रिक/ नन मैट्रिक/ इन्टर/ स्नातक आदि)	निवास की अर्हता (शहरी/ ग्रामीण)	क्षेत्र विशेष की अर्हता	भूमि संबंधी अर्हता	बी.पी. एल. की अर्हता	अन्य कोई अर्हता, यदि वांछित हो	योजना से मिलने वाला लाभ	योजना के लाभ के लिए किसी पदाधिकारी से मिलना है (मोबाईल नं० सहित)	अभियुक्ति
								विवाहित	अविवाहित										
								1	2										
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अन्नपूर्णा योजना	X	X	X	सभी वर्गों के लिए	x	हाँ	हाँ	हाँ	x	दोनों	x	x	x	ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पाने की अर्हता रखते हो, परन्तु उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा हो।	लामूक को प्रतिमाह 6 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम चावल मुफ्त दी जाती है।	संबंधित जिला पदाधिकारी	राज्य स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का है। जिला पदाधिकारी, जिला स्तर पर इसके नोडल पदाधिकारी होते हैं। ग्राम स्तर पर इस योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व पंचायत का होता है। सम्प्रति 1,42,518 लामूक आच्छादित हैं।